**भारत सरकार**

**आयुष मंत्रालय**

**(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3317**

**18 दिसम्बर, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष के डॉक्टरों/प्रैक्टिशनरों का विशेष संवग**

**3317. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
**कुमारी सुष्मिता देव:**
**श्री भरत सिंह:**
**श्री भैरों प्रसाद मिश्र:**
**श्री दुष्यंत चौटाला:**

क्या **आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुष डॉक्टरों/प्रैक्टिशनरों की सेवाओं का उपयोग करने का है एवं क्या इसका विचार देश म ग्रामीण क्षेत्रों म डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए गांवों म तैनाती हेतु आयुष प्रैक्टिशनरों के विशेष संवग का सृजन करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) एवं भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) से परामश किया है तथा उनसे इस संबंध म काय-विधि बनाने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयुष डॉक्टरों/प्रैक्टिशनरों की कब तक गांवों म तैनाती किए जाने की संभावना है ताकि ग्रामीण जनसंख्या को उपचार मिल सके?

**उत्तर**

**आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

**(क):** भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी राष्ट्रीय नीति 2002-म स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रणाली के साथ आयुष के समेकन की परिकल्पना की गई है। आयुष को मुख्यधारा म लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की काय नीतियों म से एक है जिसका प्रयास वतमान स्वास्थ्य परिचया सेवा प्रणाली म सुधार करने के लिए सुगम, सस्ती और गुणवत्ता युक्त सेवा परिचया प्रदान करना है।

इस संबंध म भारत सरकार ने प्राथमिक चिकित्सा कद्रों (पीएचसीज), सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों (सीएचसीज) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) पर आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की कायनीति अपनाई है जिससे रोगी एक ही खिड़की से विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प ले सकगे। आयुष चिकित्सकों/ परिचिकित्सकों के नियोजन और उनके प्रशिक्षण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहायता

दी जाती है, जबकि आयुष की अवसंरचना, उपस्कर/फर्नीचर और दवाइयों के लिए सहायता साझे उत्तरदायित्वों के अधीन आयुष मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

तथापि, सरकार का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए गांवों में तैनाती हेतु आयुष चिकित्साभ्यासियों और परा-चिकित्सकों का विशेष संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**(ख)** से **(घ):** आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणाली के चिकित्साभ्यासियों को सीमित एलोपैथी उपचार का अभ्यास करने की अनुमति देने के मामले पर भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन (आईएमए) से संपर्क किया गया है। उनका मत है कि इस कारण से आईएमसी अधिनियम, 1956 में कोई संशोधन करना आधुनिक चिकित्सा अभ्यास के लिए हानिकर होगा। इसलिए इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****